



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 4787/2026

सोनू

...प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव गृह विभाग उ.प्र. लखनऊ

...विरोधी पक्षकार(गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता : - अनिल कुमार यादव, दिवाकर सिंह कौशिक
विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिये विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रार्थी की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र थाना- कोतवाली टांडा, जिला - अम्बेदकर नगर में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 108 के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 115/2026 के विचारण के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. अभियोजन पक्ष के अनुसार, लगभग सात वर्ष पूर्व प्रार्थी ने वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर उससे कोर्ट मैरिज कर ली थी। उक्त विवाह से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अब पांच वर्ष का है। आरोप यह है कि जब भी मृतका अपने मायके जाने की जिद करती थी, तो प्रार्थी मना कर देता था और उसे उत्पीड़ित करता था। आगे यह भी आरोप है कि जब भी मृतका अपने मायके जाती थी, तो प्रार्थी उसे 2-4 दिनों के भीतर वापस ले आता था, जिसके

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कारण वह उदास रहती थी। यह भी आरोप है कि प्रार्थी मृतका के साथ ठीक व्यवहार नहीं करता था और उसके साथ मारपीट करता था, तथा इसी उत्पीड़न के कारण मृतका ने आत्महत्या कर ली।

4. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मृतका ने आत्महत्या की है और प्रार्थी के विरुद्ध आरोप केवल आत्महत्या के लिए उकसाने का है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि प्रार्थी अपनी आजीविका कमाने के लिए तमिलनाडु में रह रहा था और उस पर ऐसा कोई विशिष्ट कृत्य आरोपित नहीं किया गया है जिससे मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाया गया हो। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वादी के बयान में भी ऐसा कोई विशिष्ट आरोप नहीं है कि संबंधित तिथि पर मृतका को आत्महत्या करने के लिए किस बात ने मजबूर किया था या प्रार्थी ने उसे इसके लिए कैसे उकसाया था। उन्होंने तर्क दिया कि प्रार्थी को केवल इसलिए फंसाया गया है क्योंकि वह मृतका का पति है और कथित अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है और प्रार्थी से अब अभिरक्षा में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रार्थी ने विवेचना के दौरान सहयोग किया है। प्रार्थी का एक मामले का आपराधिक इतिहास है जिसका स्पष्टीकरण जमानत याचिका के पैरा-33 में प्रस्तुत किया गया है, और वह दिनांक 14.05.2026 से जेल में बंद है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत याचिका का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि मृतका ने, जो प्रार्थी की पत्नी थी, अपनी ससुराल में आत्महत्या की है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि मुख्य आरोप प्रार्थी के विरुद्ध हैं, जो मृतका का पति होने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के कारण उसकी देखभाल करने के लिए बाध्य था। चूंकि वह ऐसा करने में विफल रहा और उसके विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मृतका ने विवाह के लगभग सात वर्ष बाद अपनी ससुराल में आत्महत्या कर ली और इस विवाह से पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अब पांच वर्ष का है। यद्यपि यह आरोप लगाए गए हैं कि प्रार्थी के आचरण ने मृतका को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट में या वादी के बयान में ऐसा कोई विशिष्ट आरोप नहीं है जो प्रार्थी के किसी ऐसे कृत्य को इंगित करता हो जिससे मृतका को आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ा हो। अपराध के कारित होने में प्रार्थी के कृत्य में निकटता प्रतीत होती है। प्रार्थी ने विवेचना के दौरान सहयोग किया और आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है। प्रार्थी ने जमानत याचिका के पैरा-33 में एक मामले के आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया है और वह दिनांक 14.05.2026 से जेल में बंद है और प्रार्थी से आगे अभिरक्षा में किसी पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर विचार किये बिना, मैं इसे जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूँ।

8. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- **सोनू** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जाए:-

(1) प्रार्थी विवेचना या विचारण के दौरान साक्षियों को डराकर/धमकाकर या किसी अन्य तरीके से अभियोजन साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करेगा;

(2) प्रार्थी इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब न्यायालय में साक्षी उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। वह व्यक्तिगत

रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत की गई प्रत्येक तिथि पर विचारण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क के अंतर्गत कार्यवाही कर सकेगा;

(3) प्रार्थी (i) विचारण के प्रारंभ होने, (ii) आरोप विरचित होने, और (iii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा; और

(4) यदि प्रार्थी विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और प्रार्थी ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

9. प्रतिभूगण की पहचान, स्थिति और आवासीय प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय जमानत रद्द करने और प्रार्थी को जेल भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां कठोरतापूर्वक इस जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण तक ही सीमित हैं और इसे मामले के गुण-दोष पर किसी प्रकार के प्रभाव के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

29 जून, 2026

दिव्या

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।